



कार्यालय :- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)
काउन्सलिंग के उपरान्त चयनित द्वितीय सूची, तृतीय चयनित सूची, चतुर्थ चयनित सूची से शेष रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु पाँचवा चयनित सूची के नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना।

डी0एल0एड0 नियमित सत्र :- 2020-22 में प्रथम चयनित सूची के अभ्यर्थियों का नामांकन के उपरान्त शेष रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु दिनांक- 11.02.2021 एवं 12.02.2021 को आयोजित काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के मेधा अंक के आधार पर चयनित द्वितीय सूची, तृतीय चयनित सूची, चतुर्थ चयनित सूची से शेष रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु पाँचवा चयनित सूची रोस्टरवार महाविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी दिनांक- 28.02.2021 दिन- रविवार को 09:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होकर नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण पत्रों एवं शर्तों के साथ उपस्थित होंगे।

1. मैट्रिक परीक्षा उतीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
2. इन्टर परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति।
4. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र (मूल प्रति अनिवार्य)।
6. नामांकन शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/- (सात हजार रुपये मात्र)। ये शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट/महाविद्यालय के खाता में कैश के माध्यम से जमा किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट Principal, P.t.e.c Rampur-Jalalpur, samastipur के नाम से होगा।
7. दो फाईल फोल्डर (एक फाईल फोल्डर में सभी मूल प्रमाण पत्र एवं एक फाईल फोल्डर में सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति साथ में तीन पासपोर्ट साईज फोटों साथ लाना अनिवार्य है।)
8. नोटरी पब्लिक द्वारा बनाया गया एक शपथ पत्र रविवार होने के कारण सोमवार को कार्यालय में उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। जिसमें 85 प्रतिशत उपस्थिति एवं नामांकन हेतु उपस्थापित कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी नहीं से संबंधित घोषणा की गई हों।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
11. उर्दू विषय में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने मौलवी पाठ्यक्रम में अध्ययन किया हो।

प्रभारी प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
रामपुर-जलालपुर, (समस्तीपुर)